रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254826 CG-DL-E-20062024-254826

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2254]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946

No. 2254]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

का.आ. 2374(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिपत नाम अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 के नियम 4 के उपनियम (14) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम संख्या	बैटरी का प्रकार	वित्तीय वर्ष में किसी बैटरी के कुल शुष्क भार में से पुनर्चक्रित सामग्रियों का न्यूनतम उपयोग (प्रतिशत में)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		वर्ष 2027-2028	वर्ष 2028-2029	वर्ष 2029-2030	वर्ष 2030-2031 और उसके बाद		
1.	पोर्टेबल	5	10	15	20		
2.	इलैक्ट्रिक वाहन	5	10	15	20		

3657 GI/2024 (1)

3.	मोटर यान	35	35	40	40
4.	औद्योगिक	35	35	40	40."

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ .3984(अ), तारीख 24 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या का.आ .4669(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2023 और सा.का.नि .190(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

- **S.O. 2374(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Battery Waste Management Rules, 2022, namely:-
- 1. (1) These rules shall be called the Battery Waste Management (Second Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Battery Waste Management Rules, 2022, in rule 4, sub-rule (14), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Serial Number	Type of Battery	Minimum use of the recycled materials out of total dry weight of a Battery (in percentage) in respect of financial year			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Year 2027-2028	Year 2028-2029	Year 2029-2030	Year 2030-2031 and onwards
1.	Portable	5	10	15	20
2.	Electric Vehicle	5	10	15	20
3.	Automotive	35	35	40	40
4.	Industrial	35	35	40	40."

[F. No. 12/36/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3984(E), dated the 24th August, 2022 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 4669(E), dated the 25th October, 2023, and G.S.R. 190(E), dated the 14th March, 2024.